



Neutral Citation No. – 2026:AHC:55152

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या-5828 वर्ष 2026

आकाश

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता:

अनिल कुमार दुबे, चंद्र भान दुबे

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता:

शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन

- वर्तमान जमानत आवेदन माननीय मुख्य न्यायमूर्ति के आदेश दिनांक 25.02.2026 के द्वारा इस पीठ को नामित किया गया है।
- श्री चंद्र भान दुबे, विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से तथा श्री राजीव धर द्विवेदी, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, राज्य की ओर से सुना गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



3. वर्तमान जमानत आवेदन मुकदमा अपराध संख्या-212 वर्ष 2025, बी.एन.एस. की धाराओं 115(2), 103(1), 3(5) के अधीन, थाना खेकड़ा, जनपद बागपत में विचारण के लंबित रहने के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की मांग करते हुए योजित किया गया है।
4. वर्तमान मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 08.07.2025 को आवेदक, उसकी पत्नी एवं दो अन्य के विरुद्ध दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, आवेदक एवं उसकी पत्नी अपने माता-पिता को प्रताड़ित करते थे और दिनांक 07.07.2025 को शाम लगभग 09.15 बजे जब सूचनादाता, जो उसकी बहन है, अपने पति एवं माता-पिता के साथ आवेदक के घर पहुंची तो उसने अन्य परिवार के सदस्यों के साथ अपने माता-पिता से झगड़ा शुरू कर दिया और जब सूचनादाता के पति ने हस्तक्षेप किया तो आवेदक ने अन्य सह-अभियुक्तों के साथ मिलकर उसे बुरी तरह पीटा, जिससे उसे चोटें आईं और उसकी मृत्यु हो गई।
5. विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से निवेदन किया गया है कि आवेदक सूचनादाता का भाई है और झूठे आरोप के आधार पर उसे वर्तमान मामले में सह-अभियुक्त निधि के साथ अभियुक्त बनाया गया है, जो आवेदक की पत्नी है।
6. उन्होंने आगे तर्क दिया कि समस्त अभियुक्तों के विरुद्ध केवल सामान्य आरोप लगाए गए हैं और कोई हथियार नहीं आक्षेपित किया गया है, तथापि शव-परीक्षण रिपोर्ट से प्रकट होता है कि मृतक को पांच चोटें आईं, परंतु प्रतीत होता है कि उसकी मृत्यु चोट संख्या 1 के परिणामस्वरूप रक्तसावी झटके से हुई, अतः शव-परीक्षण रिपोर्ट से भी यह परिलक्षित नहीं होता कि आवेदक एवं अन्य अभियुक्तों का मृतक की मृत्यु कारित करने का कोई आशय था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. उन्होंने आगे तर्क दिया कि बाद में मामले के सूचनादाता अर्थात आवेदक की बहन को अपनी भूल का एहसास हुआ और वह वर्तमान मामले में शपथकर्ता भी है, जो यह स्पष्ट रूप से सुझाता है कि आवेदक निर्दोष है। उन्होंने आगे तर्क दिया कि अन्य नामित अभियुक्त विजय, अंकिता एवं निधि को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत पर रिहा किया जा चुका है और उनके जमानत आदेश वर्तमान जमानत आवेदन के साथ संलग्न हैं और जहां तक हमले के आरोप का संबंध है, आवेदक का मामला उनके समकक्ष है।
8. उन्होंने यह भी निवेदन किया कि आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 09.07.2025 से अर्थात पिछले आठ माह से अधिक समय से जेल में बंद है।
9. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध किया, परंतु विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से तथ्यों पर किए गए तर्कों का खंडन नहीं कर सके।
10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
11. तथापि, आरोप के अनुसार, जब आवेदक अन्य लोगों के साथ अपने माता-पिता से झगड़ रहा था, तब सूचनादाता जो आवेदक की बहन थी, अपने पति के साथ हस्तक्षेप करने आई और तत्पश्चात आवेदक एवं अन्य ने हमला किया, जिससे सूचनादाता के पति की मृत्यु हो गई, परंतु यह प्रतीत होता है कि समस्त अभियुक्त व्यक्तियों को केवल सामान्य भूमिका सौंपी गई है और आवेदक को छोड़कर अन्य समस्त अभियुक्तों को जमानत पर रिहा किया जा चुका है और जहां तक हमले के आरोप का संबंध है, आवेदक का मामला उनके समकक्ष है।
12. इसके अतिरिक्त, शव-परीक्षण रिपोर्ट पर विचार करते हुए विद्वान अधिवक्ता, आवेदक की ओर से किए गए इस तर्क को इस स्तर पर नकारा नहीं जा सकता कि यह परिलक्षित नहीं होता कि आवेदक एवं अन्य अभियुक्तों का मृतक की मृत्यु कारित करने का कोई आशय था। इसके अतिरिक्त, मामले के सूचनादाता अर्थात आवेदक की बहन

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मामले में शपथकर्ता है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह वर्तमान मामले में 09.07.2025 से अर्थात् पिछले आठ माह से अधिक समय से जेल में बंद है।

13. अतः उपरोक्त विवेचित मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, मेरे मत में आवेदक जमानत पर रिहा होने का अधिकारी है।

14. तदनुसार, मामले के गुण-दोष पर कोई मत व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

15. आवेदक-आकाश को उपरोक्त मामले में संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार निजी मुचलका एवं उसी राशि की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए :-

- (i) आवेदक व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न होने पर नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
- (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, अथवा साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
- (iii) आवेदक किसी भी आपराधिक एवं असामाजिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

14. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष को आवेदक की जमानत निरस्त करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने की स्वतंत्रता होगी।

15. यह स्पष्ट किया जाता है कि इसमें की गई टिप्पणियां पक्षकारों द्वारा जमानत आवेदन के निस्तारण के संबंध में प्रस्तुत तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(न्यायमूर्ति समीर जैन)

18 मार्च 2026

शहरोज

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”